मनमानी | जिला प्रशासन की फटकार के बाद झुका प्रबंधन, आदेश तत्काल प्रभाव से वापस

रविवार की जगह शुक्रवार को अंजुमन स्कूल में छुट्टी

नवभारत, जबलपुर। शुक्रवार को अंजुमन इस्लामिया स्कूल में छुट्टी घोषित करने के आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। मामले के तूल पकड़ने पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई और स्कूल प्रबंधन से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अंजुमन इस्लामिया स्कूल प्रबंधन स्कूल ने शुक्रवार (जुम्मे) को साप्ताहिक अवकाश घोषित करते हुए रविवार को नियमित कक्षाएं संचालित करने का आदेश जारी किया था। यह जानकारी स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अभिभावकों तक पहुंचाई गई, जिसके बाद सोशल मीडिया और शैक्षणिक जगत में इस फैसले को लेकर प्रतिक्रियाएं बढ़ने लगी। स्कूल की ओर से भेजे गए संदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अब से हर शुक्रवार को स्कूल बंद रहेगा और रविवार को नियमित पढ़ाई होगी।

पहले दिया अनुपस्थिति का हवाला, बाद में बदला आदेश

स्कूल प्रबंधन का तर्क है कि अंजुमन इस्लामिया स्कूल मुस्लिम बहुल क्षेत्र में स्थित है और शुक्रवार को नमाज़ के कारण अधिकांश विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं। ऐसे में जुम्मे की छुट्टी देना एक व्यवहारिक कदम बताया गया। बाद में इस फैसले को परिवर्तित करते हुए अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल ने शुक्रवार के स्थान पर साप्ताहिक अवकाश को रविवार कर दिया है।

नहीं मिली चाबी ,ताला तोड़ा, वापस लिया आदेश

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रबंधन छुट्टी के आदेश पर स्कूल में ताला लगे होने और चाबी नहीं मिलने का हवाला देकर कार्रवाई से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन जिला प्रशासन के कड़े रुख के आगे प्रबंधन को झुकना पड़ा। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने तुरंत ही लिखित रूप से आदेश वापस लेने के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रबंधक ने ताला तोड़कर लिखित रूप से पत्र जारी कर आदेश वापस लेने की सूचना जारी की।

अनियमितताओं के चलते एक्स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर सील, रिकॉर्ड जब्त

कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की कार्यवाही

नवभारत,जबलपुर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई प्रकार की गंभीर अनियमितताएं पाये जाने पर चौकीताल लम्हेटाघाट स्थित मदन महल एक्स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर को रिकार्ड जप्त कर सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मदन महल एक्स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर का कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देश में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम ने जांच की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा के अनुसार, निरीक्षण में पाया गया कि मरीजों के फॉर्म-एफ नहीं भरे जा रहे थे, रसीदें उपलब्ध नहीं थीं और एक्स-रे एवं सोनोग्राफी नॉन-मेडिकल स्टाफ द्वारा की जा रही थी। सेंटर बिना अनुमति के आवासीय भूमि पर संचालित हो रहा था।

गर्भपात और लिंग चयन संबंधी मिली संदिग्ध गतिविधि

जांच के दौरान टीम को सेंटर में कई महिलाओं में पूर्व में गर्भपात और लिंग चयन संबंधी संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले। इनके आधार पर संचालक डॉ. हेमलेश चंद्र दुबे के खिलाफ पीसीपीएनडीटी 1994 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जांच दल में पीसीपीएनडीटी सलाहकार डॉ. पुष्पराज भटेले, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. विनीता उप्पल और नोडल अधिकारी डॉ. आदर्श विश्नोई शामिल थे।

लाठी से हमला कर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

जबलपुर। पाटन के रमपुरा में खेती विवाद पर लाठी से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी धर्मेन्द्र गौड़ को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत को विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने बताया कि 30 सितंबर 2023 की शाम चार बजे ग्राम रमपुरा में डाल सिंह अपने पुत्र योगेन्द्र, शिवम व भतीजे देवेन्द्र के साथ खेत में नलकूप में मोटर डालने का कार्य कर रहे थे। उनके खेत से लगे हुए खेत में आरोपी धर्मेन्द्र कुछ काम कर रहा था और अपने खेत का कचरा डाल सिंह के खेत में फेंक रहा था। डाल सिंह के विरोध करने पर आरेपी धर्मेन्द्र ने गालीगलौज करते हुए लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर डाल सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57